विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र
(SCOPE OF SPECIAL EDUCATION)

विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. आत्म-विश्वास का विकास (Development of Self-Confidence)—जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्रायः वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत हो जाती है तथा वह भी सामान्य बालकों की तरह राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिये विशिष्ट शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये।

2. कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य (Objective of Welfare State)—भारत एक लोकतान्त्रिक तथा विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जायें। उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्रदान किये जायें ताकि वे भी अच्छा, स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

3. समान शैक्षिक अवसर (Equal Educational Opportunities)—अगर हम सामान्य बालकों की भाँति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिये कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिये यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किये जायें।

4. जीवन में समानता (Equality in Life)—'विशिष्ट बालकों' को अपने आपको घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिये कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिये उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने चाहिये ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।